फा. सं. 7/21/2011-आरआरबी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

*****

तीसरा तल, जीवनदीप,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।
दिनांकः 22 मई, 2012

सेवा में,

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(प्रयोजक बैंकों के माध्यम से)

विषय- आरआरबी में एटीएम की स्थापना तथा डेबिट कम एटीएम कार्ड जारी किया जाना।

महोदय/महोदया,

मुझे परिचालन एकीकरण, मानव संसाधन विकास तथा आरआरबी से सम्बन्धित मामलों पर विभाग द्वारा जारी किये गये 8 सितम्बर, 2011 के परिपत्र संख्या 7/6/2011-आरआरबी का हवाला देने का निदेश हुआ है। अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें यह भी दिया गया था कि आरआरबी के बैंकिंग परिचालनों को उनके प्रायोजक बैंकों के साथ क्रियात्मक रुप से एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। यह बैंकों के विशिष्ट पृथक संस्थागत ढांचे को सुरक्षित रखते हुए उनके बीच निर्बाध बैंकिंग लेन-देनों को समर्थ बनायेगा।

2. पूर्वोक्त परिपत्र का पैरा 1 (ख) एटीएम सेवाओं से सम्बन्धित है और उसमें यह दिया गया है कि प्रायोजक बैंकों और/अथवा आरआरबी द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम सेवायें उसी बैंक की मानी जाएं और ऐसे एटीएम की सेवाओं के उपयोग करने संबंधी प्रभार इसके ग्राहकों के लिए प्रायोजक बैंकों के प्रभार के बराबर होना चाहिए।

3. किफायती एटीएम सेवाओं को रखने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अब एकत्रीकरण की शक्ति का लाभ उठाते हुए अपनी आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) तथा आरआरबी और भौगोलिक समूह के लिए सभी बैंकों की ओर से टेंडर जारी करने वाले एक पीएसबी (अग्रणी बैंक) के साथ एटीएम के क्षेत्र आधारित अभिनियोजन का नमूना तैयार किया है। अग्रणी बैंक एटीएम की स्थापना तथा इसके रखरखाव के लिए विक्रेता (वेंडर) निश्चित कर रहे हैं। आरआरबी को भौगोलिक समूह के लिए बैंकों द्वारा निश्चित किए गए अनुबन्ध में भी सम्मिलित होना पड़ेगा और प्रथमतः अपनी सभी शाखाओं में एटीएम की स्थापना करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

4. एटीएम के लिए 'स्विच' की पूंजी लागत में कमी लाने के लिए और परिचालनात्मक समन्वय से सम्बन्धित पूर्व के अनुदेशों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सलाह दी जाती है कि अपने प्रायोजक बैंकों के 'स्विच' के माध्यम से आरआरबी एटीएम का परिचालन करेंगे।

5. अपने प्रायोजक बैंकों के परामर्श से आरआरबी उनके खाताधारकों को डेबिट-कम-एटीएम कार्ड जारी करने की योजना भी तैयार करें। उन कार्डों को प्रयोजक बैंकों के साथ सहयोजित (को-ब्रांडेड) किया जा सकता है और विक्रेताओं (वेंडरों) की सेवाएं, जो प्रायोजक बैंक को कार्ड जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, शीघ्र रोल आउट करने के उद्देश्य से उपयोग में लायी जा सकती हैं।

इसे सचिव (वित्तीय सेवाएं) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(संदीप कुमार)
निदेशक (एफआई)